सं0 I / 20012/4/92-रा.भा. (नी-1)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली -110003
दिनांक 24 नवम्बर,,1998

संकल्प

राजभाषा अधिनियम , 1963 की धारा 4 (1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी । समिति द्वारा विधायन की भाषा तथा विभिन्न न्यायालयों और न्यायधिकरणों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित प्रतिवेदन का 5वां खण्ड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था । राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 (3) के अनुसार इसे लोक सभा के पटल पर तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसकी प्रतियां भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को भेजी गयी । इस संबंध में राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों एंव विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / संस्थाओं के अतिरिक्त भारत के उच्चतम न्यायलय से प्राप्त मत पर विचार करने के उपरान्त वर्तमान विधिक व्यवस्थाओं तथा तथा व्यवहारिकताओं को ध्यान में रखते हुए समिति की कुछ सिफारिशों को मूल रूप में, कुछ को सिद्धान्त रूप में, कुछ को आंशिक रूप में स्वीकार करने का,कुछ को स्वीकार्य पाया गया है तथा कुछ को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार,, अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है -

1. **राजभाषा विभाग का सुदृढ़ीकरण तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की मानीटरिंग**

संस्तुति सं0 (1) गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग का पुनर्गठन करके उसे सम्पूर्ण मंत्रालय का दर्जा देते हुए अधिक सुदृढ़ और सक्षम बनाने के लिए अविलम्ब कार्रवाई की जानी चाहिए ।

"राजभाषा विभाग के वर्तमान कार्य क्षेत्र के सापेक्ष इसके लिए अलग से संपूर्ण मंत्रालय बनाना वर्तमान में व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है । "

संस्तुति सं0 (2) राजभाषा विभाग में इस समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन की कार्रवाई पर निगरानी रखने और इनका कार्यान्वयन कराने के लिए एक प्रभाग की स्थापना तुरन्त की जानी चाहिए ।

" समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों समेत अपनी कार्यान्वयन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के प्रस्ताव व्यय विभाग के साथ उठाए तथा उस पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करे । "

संस्तुति सं0 (3) अन्य मंत्रालयों/विभागों और उनसे संबंधित कार्यालयों, उपक्रमों, संस्थानों आदि में भी राजभाषा नीति के अनुपालनार्थ और इस समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेशों को लागू करने के उद्देश्य से मानीटरिंग, कार्यान्वयन और अनुवाद संबंधी कार्य के लिए अपेक्षित पदों का सृजन और उन पर नियुक्ति संबंधी कार्रवाई अविलम्ब की जानी चाहिए ।

" समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अपेक्षित कार्रवाई का अनुरोध करे । "

संस्तुति सं0 (4) समिति के प्रतिवेदन के चौथे खण्ड के पैरा 41.21 में की गई अनुशंसा के अनुसार जब तक राजभाषा विभाग को सम्पूर्ण मंत्रालय का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इस समिति की सिफारिशों पर किए गए आदेशों के अनुपालन की मानीटरिंग का कार्य भी यह समिति करती रहे ।

" राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिशों पर किए गए आदेशों के अनुपालन की मानीटरिंग का कार्य राजभाषा विभाग करे । इसके लिए आवश्यकतानुसार विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जाए । "

संस्तुति सं0 (5) महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों की अवहेलना करने वाले हिन्दी में प्रवीण अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए ।

"राजभाषा विभाग ऐसे आदेश जारी करे कि सभी मंत्रालय/विभाग अपने वरिष्ठ अधिकारियों , विशेष कर उप सचिव एवं समकक्ष तथा उससे वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए विशेष तौर पर प्रेरित एवं उत्साहित करे । "

2 . **विधेयकों आदि का पुरःस्थापन के लिए मूल प्रारुपण की भाषा**

संस्तुति सं0 (6) संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक या संविधान या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों, संकल्पों, विनियमों या उप-विधि का मूल प्रारूपण हिन्दी में किया जाना चाहिए । संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित हिन्दी पाठ मूल पाठ हो और अंग्रेजी अनुवाद अधिप्रमाणित पाठ के रूप में तब तक बनाया जाता रहे जब तक कि उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहता है । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (2) में तद्नुसार संशोधन किया जाना चाहिए ।

" यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है । इस दिशा में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रथम चरण में विधायी विभाग विधि विशेषज्ञों/प्रारुपकारों को हिंदी में विधिक सामग्री के प्रारुपण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करे । "

संस्तुति सं0 (7) हिन्दी भाषी राज्यों में भी इसी प्रकार विधेयक आदि का मूल प्रारूपण हिन्दी में किया जाना चाहिए । उनका अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता रहे । जब राज्य विधान-मण्डलों में दोनों पाठ साथ-साथ पुरःस्थापित किए जाएं तो हिन्दी पाठों को प्राधिकृत माना जाए ।

" यह सिफारिश सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है । अतः इस पर आगामी विचार एवं कार्रवाई करने के लिए "क" क्षेत्र में स्थित सभी राज्य सरकारों को भेज दिया जाये । "

संस्तुति सं0 (8) जहां तक अहिन्दी भाषी राज्यों का संबंध है, वहां विधेयकों आदि का मूल प्रारूपण राज्य की राजभाषा में हो और उनका अनुवाद हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में हो । राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा-6 में भी इस आशय का मामूली संशोधन कर दिया जाए ।

" संस्तुति सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है । इस पर आगामी विचार एवं कार्रवाई करने के लिए "ख तथा ग" क्षेत्र की राज्य सरकारों को भेज दिया जाए । "

संस्तुति सं0 (9) संघ की राजभाषा हिंदी है और अहिन्दी भाषी राज्यों के विधायी प्रारूपण मूल रूप से राज्य की राजभाषा में या हिन्दी में हों इसलिए संघ सरकार को राज्य सरकार के अधिनियमों आदि के हिन्दी अनुवाद में सहायता प्रदान करनी चाहिए या इस कार्य को करने के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

"अहिंदी भाषी राज्यों के विधायी प्रारुपण का हिंदी अनुवाद तैयार करने के लिए राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने पर विचार करें तथा केन्द्र सरकार का विधायी विभाग ऐसे प्रशिक्षण के लिए आर्थिक योगदान उपलब्ध कराने की परियोजना बनाए ।"

संस्तुति सं0 (10) भारत सरकार का विधायी विभाग अपने प्रारूपकारों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करे ताकि वे विधेयकों आदि का मूल प्रारूपण हिन्दी में कर सकें । इसके लिए यह आवश्यक है कि विधि का हिंदी में कार्य करने के लिए पृथक विभाग बनाया जाए । योग्य और अनुभवी लोगों को आकर्षित करने के लिए हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रारूपकारों को भारतीय विधिक सेवा में एक पृथक अंग के रूप में सम्मिलित किया जाए ।

" यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि भारत सरकार का विधायी विभाग, विधि विशेषज्ञों/प्रारुपकारों को विधिक सामग्री का मूल प्रारुपण हिंदी में करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करे ।"

3. **लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों द्वारा संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन**

संस्तुति सं0 (11) लोकसभा और राज्य सभा के सचिवालयों द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों आदि से संबंधित प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई की स्थिति वही है जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की है । इसलिए इन सचिवालयों को भी प्रशासनिक कार्यों के लिए भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रमों के समान अपने दैनंदिन कार्य में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम बनाने चाहिए और इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखने के लिए अपना तंत्र स्वयं स्थापित करना चाहिए ।

" समिति की यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है । संसद की दोनों सभाओं के अध्यक्ष महोदयों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस संस्तुति को क्रियान्वित करने के लिए विचार करने की कृपा करें । "

4. **उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में राजभाषा नीति का अनुपालन**

संस्तुति सं0 (12) उच्चतम न्यायालय के महा-रजिस्ट्रार के कार्यालय को अपने प्रशासनिक कार्यों में संघ सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करना चाहिए । वहां हिंदी में कार्य करने के लिए आधारभूत संरचना स्थापित की जानी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए ।

" संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है । इसके अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय की आंतरिक प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में राजभाषा नीति चरणबद्ध तरीके से अपनाने के लिए विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से, एक व्यावहारिक कार्य योजना तैयार करे तथा उसे क्रियान्वित करने पर विचार करे । "

5. **उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में भाषा का प्रयोग**

संस्तुति सं0 (13) उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत होना चाहिए । प्रत्येक निर्णय दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो । उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में निर्णय दिया जा सकता है। यदि निर्णय हिंदी में सुनाया गया हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करके और यदि अंग्रेजी में सुनाया गया हो तो उसका हिंदी अनुवाद करके ऐसा किया जा सकता है ।

" यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है । विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय इस संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च् न्यायालय के परामर्श से उस न्यायालय के लिए उन अतिरिक्त व्यवस्थाओं तथा संसाधनों एवं उस पर होने वाले खर्चे का आंकलन करें जो कि इस संस्तुति को अपनाने के लिए आवश्यक होगा । साथ ही, इसके लिए एक दीर्घकालीन कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने पर विचार हो। "

6. **उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग**

संस्तुति सं0 (14) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य अधिकारियों को अपने प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने के संबंध में प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की जानी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का आयोजन किया जाना चाहिए ।

" यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि इसे "क " क्षेत्र में स्थित उच्च न्यायालयों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक विचार एवं कार्रवाई के लिए भेज दिया जाए तथा अन्य उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के परिपेक्ष्य में उचित समय आने पर संबंधित राज्य सरकारें तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय इस पर कार्रवाई करने पर विचार करें । "

संस्तुति सं0 (15) एक ऐसा संस्थान या संगठन स्थापित किया जाना चाहिए जो न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और विधि-शिक्षकों को विधि के क्षेत्र में अर्थात् विधायन, न्यायिक कार्य और विधि शिक्षा के लिए हिंदी के प्रयोग का प्रशिक्षण दे ।

" इस संस्तुति को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया जाता है । भारत सरकार के विधायी विभाग द्वारा इस दिशा में आवश्यक पहल की जाए । "

7. **उच्च न्यायालयों के निर्णयों/कार्यवाहियों में भाषाओं का प्रयोग**

संस्तुति सं0 (16) उच्च न्यायालयों के निर्णय, डिक्रियों व आदेशों में राज्य की राजभाषा अथवा हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए । किन्तु यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि प्रत्येक निर्णय का प्राधिकृत अनुवाद दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो । जब तक अंग्रेजी का प्रचलन बना रहता है तब तक इनका प्राधिकृत अनुवाद अंग्रेजी में सुलभ कराने की व्यवस्था की जा सकती है । तथापि उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां राज्य की राजभाषा में अथवा हिंदी में या अंग्रेजी में की जा सकती हैं ।

" इस संस्तुति पर संविधान तथा राजभाषा अधिनियम 1963 के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने की वर्तमान नीति पर्याप्त है। "

संस्तुति सं0 (17) अहिन्दी भाषी राज्यों में भी संबंधित राज्य की राजभाषा में दिए गए निर्णयों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद कराने के लिए संघ सरकार संबंधित राज्य सरकारों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करें ।

" अहिंदी भाषी राज्यों में भी संबंधित राज्य की राजभाषा में दिए गए निर्णयों का प्राधिकृत पाठ हिंदी में उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकारें स्वयं अपने वित्तीय संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग कर इस दिशा में कार्य करें । "

8. **संघ के न्यायिक कल्प संगठन, प्रशासनिक अधिकरण आदि में राजभाषा नीति का अनुपालन**

संस्तुति सं0 (18) संघ के न्यायिक कल्प संगठन, प्रशासनिक अधिकरण आदि केन्द्रीय सरकार के अंग हैं और केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन हैं । इसलिए उन्हें भी अन्य केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों की तरह अपना

कामकाज राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार करना चाहिए । कुछ न्यायिक कल्प निकायों के नियमों में या उनसे संबंधित सभी अधिनियमों और नियमों में तुरन्त संशोधन करके उनमें संघ की राजभाषा हिंदी के प्रयोग की व्यवस्था की जाए ।

" यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है । प्रत्येक मंत्रालय / विभाग अपने कार्य क्षेत्र में नए न्यायिक कल्प संगठन/निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरणों इत्यादि की स्थापना करते समय उनमें संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित प्रावधान सदैव बनाए। सरकार का हर विभाग/मंत्रालय अपने नियंत्रणाधीन एवं वर्तमान में कार्यरत अर्द्ध-न्यायिक निकायों इत्यादि में राजभाषा नीति के अनुकूल प्रावधान करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए । "

9. **हिंदी माध्यम से विधि की शिक्षा**

संस्तुति सं0 (19) हिंदी के माध्यम से भी स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर विधि की शिक्षा की व्यवस्था पूरे देश में सभी विश्वविद्यालयों तथा अन्य विधि के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को करनी चाहिए । इस समय भी अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा हिंदी में विधि शिक्षा प्रदान की जा रही है । इसका विस्तार होना चाहिए ।

" समिति की इस संस्तुति पर शिक्षा विभाग चरणबद्ध रूप से अपेक्षित कार्रवाई करे । "

संस्तुति सं0 (20) अन्य भाषाओं में उपलब्ध विधि के गौरव-ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद कराने के कार्य में तेजी लानी चाहिए ।

" समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । विधि कार्य विभाग इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए ।"

संस्तुति सं0 (21) यह भी आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय के सभी प्रतिवेद्य निर्णयों को हिंदी में अनुवादित कर विधायी विभाग की पत्रिका में प्रकाशित किया जाए । इसी प्रकार विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए प्रतिवेद्य निर्णयों को भी अधिकाधिक संख्या में अनुवाद करके उन्हें हिंदी में प्रकाशित किया जाना चाहिए ।

" समिति की यह संस्तुति सिद्धांत रूप से मान ली गई है । विधायी विभाग इस दिशा में प्रारम्भिक प्रयास के लिए आवश्यक कदम उठाए। "

संस्तुति सं0 (22) दिल्ली में एक पुस्तकालय स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं का अधिकतम एवं अद्यतन विधि साहित्य उपलब्ध हो ।

" यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है तथापि विधि और न्याय मंत्रालय संबंधित संगठनों के परामर्श से प्रस्तावित पुस्तकालय स्थापित करने की एक समयबद्ध योजना बनाए और उस पर कार्रवाई करे । "

(देव स्वरूप)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार